भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/60/2017 दिनांक: 17.07.2017

प्रेस नोट

विषय: राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017-मतदान-तत्संबंधी।

भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्वाचनों में से एक है, जिसे निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधिदेश के अधीन संचालित करता है।

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि 24 जुलाई, 2017 तक है। अत: 24 जुलाई, 2017 से पूर्व नए राष्ट्रपति का चयन करने के लिए निर्वाचन कराया जाना था। राष्ट्रपतीय एवं उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 4 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अधीन, निर्वाचन की अपेक्षा करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा 14 जून, 2017 को अधिसूचना जारी की गई थी। निर्वाचन के लिए केवल दो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, नामत: श्रीमती मीरा कुमार तथा श्री रामनाथ कोविन्द हैं एवं मतदान आज अपराहन 5 बजे तक समाप्त हो गया था। मतों की गणना 20 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे से की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मण्डल के सदस्यों जिनमें (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा (ख) सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों (संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1992) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित, संसद के किसी एक सदन या राज्यों की विधान सभाओं में नामांकित सदस्य निर्वाचक मण्डल में सम्मिलित किए जाने के पात्र नहीं है।

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है एवं ऐसे निर्वाचन में मतदान गोपनीय मतपत्र द्वारा किया जाता है।

संविधान (चौरासीवां) संशोधन अधिनियम, 2001 में उपबंधित है कि जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् की जाने वाली प्रथम जनगणना के लिए संगत जनसंख्या आंकड़े प्रकाशित न हो जाए, राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतों के मूल्य के परिकलन के उद्देश्य से राज्यों की जनसंख्या का अर्थ 1971 की जनगणना में सुनिश्चित की गई जनसंख्या के अनुसार होगा।

प्रत्येक विधान सभा सदस्य के मतों का मूल्य भिन्न होता है। उत्तर प्रदेश में विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य (208) सर्वाधिक है जबकि सिक्किम में मत का मूल्य (7) सबसे कम है, संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 708 है।

() 776 सदस्यों के मतों का कुल मूल्य = 708 X 776 = 5,49,408

() राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए कुल निर्वाचक = विधाय (4120) + संसद सदस्य (776) = 4896

() राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017 के लिए 4896 निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य =5,49,495 + 5,49,408 = 10,98,903

राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम **40** के अधीन, निर्वाचन आयोग से अनुच्छेद **54** में सदंर्भित निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की सूची तथा उनके अद्यतित पते रखने की अपेक्षा की जाती है।

उस सूची में, राज्य सभा, लोक सभा के निर्वाचत सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूची शामिल है। दो सदस्य नामत: श्री नरोत्तम मिश्रा और श्री छेदी पासवान को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की क्रमश: धारा **10**क और धारा **8** के अधीन निर्हर किया गया है, इसलिए राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए निर्वाचन में भाग लेने हेतु निर्वाचक मंडल की सूची में कुल **4880** निर्वाचक हैं।

नई दिल्ली में संसद भवन में क्रमश सं. **62** और सभी राज्य विधान सभा सचिवालयों अन्य **31** मतदान केन्द्रों के स्थानों के रूप में नियत किया गया था। संसद सदस्यों ने नई दिल्ली में मतदान किया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी की विधान सभाओं के सदस्यों सहित राज्य विधान सभाओं के सदस्यों ने प्रत्येक राज्य विधान सभाओं के सदस्यों ने प्रत्येक राज्य की राजधानी में नियत किए गए स्थान में मतदान किया। तथापि, आयोग द्वारा किसी भी संसद सदस्य के लिए राज्य की राजधानी में मतदान करने की सहुलियत उपलब्ध करायी गयी थी और इसी तरह से यदि राज्य विधान सभा का कोई सदस्य मतदान की तारीख पर अपरिहार्य कारणों से दिल्ली में ठहरता है तो उसे संसद भवन में स्थापित मतदान बूथ में मतदान करने की सुविधा दी जाती है। तदनुसार राज्य मुख्यालयों में **54** सांसदों ने संसद भवन में **5** विधायकों ने और अन्य राज्य मुख्यालयों में **4** विधायकों ने मतदान किया।

12 और **13** जुलाई **2017** को भारत निर्वाचन आयोग से राज्यों में खाली बाक्सों और **17** और **18** जुलाई, 2017 को सभी राज्य मुख्यालयों से संसद भवन अर्थात् गणना के स्थान में मत डाले गए बाक्सों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं बाधारहित और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए अभेद्य सुरक्षा व्यवस्थाएं की गयी थी।

इस बार आयोग ने मतदान की गोपनीयता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नई विशिष्टताएं शुरू की:

- इस बार आयोग द्वारा केन्द्रीय रूप से बैंगनी स्याही वाली अद्भुत क्रम संख्या अंकित किए गए पेन उपलब्ध कराये गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता द्वारा मतों के अधिमान को चिह्नित करने के लिए किसी अन्य उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया है।
- पहली बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों से बाहर खास-खास स्थानों में प्रदर्शित करने के लिए विशेष पोस्टर उपलब्ध कराए गए थे। इसमें दो प्रकार के पोस्टर हैं जिसमें से एक विशेष पेन के प्रयोग के बारे में और दूसरा मत डालने के लिए निर्वाचको हेतु क्या करें और क्या न करें के बारे में है।
- रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों/प्रेक्षकों सुरक्षा कर्मचारियों आदि के लिए विभिन्न व्हाट्स एप दलों का सृजन किया गया और बारीकी से निगरानी करने तथा राज्य मुख्यालय, संसद और भारत निर्वाचन आयोग के साथ गतिविधियों से समन्वय रखने के लिए इनका व्यापक प्रयोग किया गया।

मतदान के लिए अधिकृत कुल **771** संसद सदस्यों में से **(04** रिक्त और **01** निर्हर**) 768** ने अपना मत डाला अर्थात् **99.61%**। इसी तरह से मतदान करने के लिए अधिकृत **4109** विधान सभा सदस्यों में से **(10** रिक्त और **01** निरर्हित**) 4083** ने अपना मत डाला अर्थात **99.37%**।

(सुमन कुमार दास**)**